न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी —श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन— 218/2025 अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रार्थीगण	विप्रार्थीगण
1. ऐलची पत्नी मंगलाराम 2. गणपत पुत्र केसरीमल जाति बिश्नोई निवासी गडरा,नेड़ीनाडी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर 3. शंकराराम पुत्र जांवताराम 4. तुलछीदेवी पत्नी शंकराराम जाति बिश्नोई निवासी सांचौर तहसील सांचौर जिला जालोर।	01. गोतमचंद पुत्र मोतीलाल 02. प्रकाशचन्द पुत्र मोतीलाल 03. दिनेशकुमार पुत्र रिखबदास जातियान ओसवाल निवासी ढाणी बाजार बाड़मेर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 04. जीया पुत्र केशर 05. वीराराम पुत्र प्रागाराम 06. ताजु पत्नी वीराराम जातियान कोली निवासीगण सालारिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 07. सोढी पत्नी जानी जाति मुसलमान निवासी सालारिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 08. शाखा प्रबंधक एसबीआई शाखा सेड़वा 09. तहसीलदार सेड़वा।

वकील प्रार्थी :— श्री श्रीराम विश्नोई

निर्णय

दिनांक :— 30/03/2026

प्रार्थीगण ऐलची पत्नी मंगलाराम जाति—बिश्नोई, निवासी— गडरा,नेड़ीनाडी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर वगैरा द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि "प्रार्थी एक काश्तकार है एवं प्रार्थी संख्या 01 से 04 का खातेदारी एवं कब्जाकाश्त का खेत मौजा सालारिया पटवार मण्डल सालारिया भू.अ.नि. क्षेत्र सेड़वा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 55 रकबा 16—7944 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम का आया हुआ है, जिस पर प्रार्थीगण का अपनी भूमि पर कब्जा काश्त है तथा अपने टांका व मवेशियों के बाड़े आदि बने हुए है। नकल जमाबंदी संलग्न है। प्रार्थीगण की जोत पर आने जाने के लिए विप्रार्थी संख्या 01 से 03 के खातेदारी का खेत मौजा सालारिया पटवार मण्डल सालारिया भू.अ.अभि. नि. क्षेत्र सेड़वा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 52 रकबा 5—6170 हैक्टेयर एवं विप्रार्थीगण संख्या 04 से 07 के खसरा संख्या 51 रकबा 7—0091 हैक्टेयर में से चकबंक सड़क मार्ग तक आने जाने के लिए निकटतम रास्ता प्रार्थीगण की जोत पर आने जाने हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:44:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

...ता है। प्रार्थीगण के खेत के चारों ओर के काश्तकार अपनी काश्त कर लेते है, जिससे प्रार्थीगण ...नी जोत में जाने से बाधित हो जाते है एवं हर बार रास्ते को लेकर भारी विरोध होता है, झगड़ा होने ...पूर्ण सम्भावना बनी रहती है।

प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते का विवरण इस प्रकार है–

क्र. स.	नाम खातेदारान	ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	किस्म	प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई
01.	गोतमचंद पुत्र मोतीलाल प्रकाशचन्द पुत्र मोतीलाल दिनेशकुमार पुत्र रिखबदास	सालारिया	52	5–6170 हैक्टेयर	बारानी सोयम	20 फीट
02	जीया पुत्र केशर वीराराम पुत्र प्रागाराम ताजु पत्नी वीराराम सोढी पत्नी जानी	सालारिया	51	7–0091 हैक्टेयर	बारानी सोयम	20 फीट

प्रार्थीगण ने जो रास्ता वैकल्पिक रूप से परिशिष्ट 'अ' में बरंग केसरिया रंग से दर्शाया है, जो विप्रार्थी की खातेदारी की भूमि है, जिससे आगे सड़क मार्ग से प्रार्थीगण के अपने जाने हेतु मार्ग की सख्त आवश्यकता है तथा मार्ग के अभाव में प्रार्थीगण को अपनी ढाणी से जोत तक एवं स्कूल अस्पताल आदि तक जाने में रूकावट पैदा होती है एवं उक्त रास्ता सबसे निकटतम है। प्रार्थीगण रास्ते की भूमि का उपयोग मात्र आवागमन हेतु करेगा, इस संबंध में प्रार्थी रास्ते बाबत् विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के अन्य किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि सड़क मार्ग से प्रार्थीगण के खेत मौजा सालारिया पटवार मण्डल सालारिया भू.अ.नि. क्षेत्र सेड़वा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 55 रकबा 16–7944 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में जाने हेतु विप्रार्थीगण के खातेदारी का खेत मौजा सालारिया पटवार मण्डल सालारिया भू.अ.नि. क्षेत्र सेड़वा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में विप्रार्थी संख्या 01 से 03 के खसरा संख्या 52 रकबा 5–6170 हैक्टेयर एवं विप्रार्थीगण संख्या 04 से 07 के खसरा संख्या 51 रकबा 7–0091 हैक्टेयर में से नया मार्ग खोलने का आदेश कर स्वीकृत मार्ग को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता के रूप में अंकित करावें।''

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। विप्रार्थीगण के समन्न तामिल शुदा प्राप्त होने के बावजूद उनकी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तहसीलदार सेड़वा से मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु निवेदन किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा क्रमांक

Signature Not Verified
Digitally signed by: Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:44:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

...3/2076 दिनांक 26.11.2025 द्वारा तहसीलदार सेड़वा से मौका रिपोर्ट तलब की। तहसीलदार ...के कार्यालय पत्रांक भू.अ./2025/2162 दिनांक 17.12.2025 द्वारा प्रकरण में न्यायालय को मौका ...र्ट मय खसरा नक्शा एवं जमाबंदी प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार सेड़वा के कार्यालय पत्रांक भू.अ./2025/2162 दिनांक 17.12.2025 द्वारा प्राप्त मौका जांच प्रतिवेदन निम्नानुसार है–मौका रिपोर्ट ऐचली पत्नी मंगलाराम, तुलसी पत्नी शंकरराम, शंकरराम पुत्र संवताराम, वीराराम पुत्र प्रागाराम व ताजू पत्नी वीराराम की उपस्थिति में तैयार की गई। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को दिए जाने वाले रास्ते का विवरण इस प्रकार है–

क्र. स.	नाम खातेदारान मय सकूनत	ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	किस्म	प्रस्तावित रास्ते मे प्रयुक्त भूमि है.	प्रस्तावित रास्ते में प्रयुक्त भूमि की कीमत	रास्ते की चौड़ाई
1.	गोतमचन्द पुत्र मोतीलाल 1/4 दिनेशकुमार पुत्र रिखबदास 1/2, प्रकाशचन्द पुत्र मोतीलाल 1/4 जाति ओसवाल सा. बाड़मेर खातेदार	सालारिया	52	5–6170 हैक्टे.	बारानी सोयम	0–1699 हैक्टेयर	71358/–	20 फीट
2.	जीया पुत्र केशर 1/6, ताजू पत्नी वीराराम 1/3, वीराराम पुत्र प्रागाराम 1/3 सोढी पत्नी जानी 1/6 जाति मुसलमान सा. देह खातेदार	सालारिया	51	7–0091 हैक्टेयर	बारानी सोयम	0–0162 हैक्टेयर		20 फीट

संलग्न नक्शे में प्रस्तावित रास्ते को बरंग पीला दर्शाया गया है। उक्त रास्ते में कोई कीमती पेड़, मकान इत्यादि नहीं है। उक्त रास्ते के अलावा निकटतम व वैकल्पिक रास्ते का अभाव है। मौका फर्द मौके पर उपस्थित मौतबरान को पढकर सुनाई गई और उपस्थित के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान करवाए गए।''

प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का आद्योपांत अध्ययन अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिंतन मनन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, तथ्यों आदि पर बहस ... पर न्यायालय द्वारा स्वस्थ चित्त से विचारण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा दस्तावेजों ... पर युक्तियुक्त विचारणोपरांत यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:44:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

...है कि प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधाजनक उपभोग के ...हीं है तथा इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' ...स्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार योग्य प्रतीत होता है तथा प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है, उसका विवरण निम्नानुसार है—

क्रं. स.	नाम खातेदारान मय सकूनत	ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	किस्म	प्रस्तावित रास्ते मे प्रयुक्त भूमि है.	प्रस्तावित रास्ते में प्रयुक्त भूमि की कीमत	रास्ते की चौड़ाई
1.	गोतमचन्द पुत्र मोतीलाल 1/4 दिनेशकुमार पुत्र रिखबदास 1/2, प्रकाशचन्द पुत्र मोतीलाल 1/4 जाति ओसवाल सा. बाड़मेर खातेदार	सालारिया	52	5—6170 हैक्टे.	बारानी सोयम	0—1699 हैक्टेयर	71358/—	20 फीट
2.	जीया पुत्र केशर 1/6, ताजू पत्नी वीराराम 1/3, वीराराम पुत्र प्रागाराम 1/3 सोढी पत्नी जानी 1/6 जाति मुसलमान सा. देह खातेदार	सालारिया	51	7—0091 हैक्टेयर	बारानी सोयम	0—0162 हैक्टेयर		20 फीट

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व अत्यधिक आवश्यकता के दृष्टिगत उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1)—(b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 17.12.2025 मय फर्द दिनांक 15.12.2025 एवं संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस बरंग पीला से दर्शाया गया है जिसके अनुसार 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण क्षतिपूर्ति राशि नियमानुसार डीएलसी दर की दो गुना राजकोष में अदा करेगें। मौका रिपोर्ट दिनांक 17.12.2025 मय फर्द दिनांक 15.12.2025 व नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:44:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

गण को उक्त खसरे में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना होगी :—

1. तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है कि प्रस्तावित नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त निर्धारित राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकार (विप्रार्थीगण) को नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना के बराबर होगी।
3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्तें में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि तहसीलदार सेड़वा को प्रदान करने के उपरान्त ही स्वयं द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जायेगा।
4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''गैर मुमकिन रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।
5. प्रार्थीगण को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्यधीन ही प्रार्थीगण को नया रास्ता दिए जाने हेतु आज दिनांक 30/03/2026 को आदेश किया जाता है। मौका फर्द मय नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेंगे। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर, दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

(बद्रीनारायण विश्नोई आरएएस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:44:04 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.)सेडवा जिला बाडमेर

क्रमांक / भू.अ. / 2025 / 2162 दिनांकः– 17/12/2025

प्रेषितः– श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, सेड़वा

विशयः– राजस्व आवेदन सं 218 / 2025 अनवान ऐलची वगैरह बनाम गोतमचन्द वगैरह अंतर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(A) में मौका रिपोर्ट भिजवाने बाबत् ।

उपरोक्त विशयान्तर्गत निवेदन है कि 218 / 2025 अनवान ऐलची वगैरह बनाम गोतमचन्द वगैरह अन्तर्गत आर टी एक्ट की धारा 251 ए तहत ग्राम सालारिया के खसरा **55** में आने जाने के लिए विप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. **52** व **51** में से रास्ता दिया जाने हेतु आप द्वारा मौका रिपोर्ट चाही गई थी। जिसकी पालना में अतिरिक्त ऑफिस कानुनगो सेड़वा द्वारा दिनांक **15.12.2025** को मौके पर जाकर जांच कर मौका रिपोर्ट व प्रस्तावित रास्ते हेतु नक्शा तैयार किया गया। मौका रिपोर्ट व प्रस्तावित रास्ते का नक्शा इस पत्रांक के सलंगन भिजवाया जा रहा है।

सलंगनः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:44:04 IST
Reason: SelfAttested

मौका रिपोर्ट

(धारा 251(A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत)

मैं ...मांगीलाल.................. (नाम) भू. अभिलेख निरीक्षक वृत्त..ILOK सेड़वा......., कार्यालय, तहसीलदार ....सेड़वा........... के आदेश क्रमांक 2064-65.. दिनांक 3/12/2025.. की पालना में भूमि की मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु आज दिनांक 15/12/2025 समय ....बजे आराजी खसरा नम्बर-.52........ वाके ग्राम सालारिया.. पटवार मंडल ..सालारिया...... पर श्री ..बाबूलाल.......... पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस क्रमांक 2125-31.... दिनांक .15/12/2025.... द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी
01	ऐलची	पत्नी मंगलाराम	50	विश्नोई	प्रार्थी
02.	तुलसी	पत्नि शंकरराम	70	—"—	—"—
03.	शंकरराम	पुत्र संवताराम	80	—"—	—"—
04.	वीराराम	पुत्र प्रागाराम	70	कोली	विप्रार्थी
05.	लाजू	पत्नि वीराराम	60	—"—	—"—

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआयना किया गया एवं मौका रिपोर्ट निम्मानुसार तैयार की गई :-

क्र.स.	खातेदार का नाम वल्दमय	ग्राम	खसरा नं.	रकबा	किस्म	रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत
01.	गौतमचन्द पुत्र मोतीलाल 1/4 दिनेशकुमार पुत्र रिखबदास 1/2, प्रकाश[illegible] 1/4 जाति ओसवाल सा. बाड़मेर खातेदार	[illegible]	52	5.6170 हेक्टर	गा.मोयम	0.1699 हेक्टर	71358/-
02.	जीया पुत्र केशर 1/6, [illegible] 1/3, वीराराम पुत्र प्रागाराम 1/3 सोढ़ी पत्नि जानी जाति मुसलमान सा. देह खातेदार	सालारिया	51	7.0091 हेक्टर	गा.मोयम	0.0162 हेक्टर	

संलग्न नक्शे में प्रस्तावित रास्ते को बरंग पीला दर्शाया गया है। उक्त रास्ते मे किसी प्रकार का मकान कीमती पेड़ इत्यादि नही हैं। उक्त रास्ते के अलावा निकटतम व वैकल्पिक रास्ते का अभाव है।

[signature]

अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो सेड़वा

[signature]

उपखंड[illegible] (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:44:04 IST
Reason: SelfAttested

उक्त मौका रिपोर्ट उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनायी गई। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	प्रार्थी/अप्रार्थी
01.	ऐलची	पत्नि मंगलाराम	विश्नोई	ऐलची	प्रार्थी
02.	तुलसी	पत्नि शंकरराम	-"-	तुलसी	-"-
03.	शंकरराम	पुत्र ईसरराम	-"-	[illegible]	-"-
04.	वीरराम	s/o. प्रागाराम	कोली	अंगूठा वीरराम	अप्रार्थी
05.	तान्नू	पत्नि वीरराम	-"-	तान्नू	-"-

निम्न पक्षकारों ने मौका रिपोर्ट पढ़, सुन, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी
01.	पपू खांन	s/o. दादा खांन	35	मुसलमान	

मौके पर उपस्थित अन्य मौतबिरान को भी उक्त मौका रिपोर्ट पढ़कर सुनायी गयी और उनके निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ मोबाईल नं.
01.	मंगलाराम	पुत्र हजीराम	50	विश्नोई	VIP-[illegible] mob-9460015049 मंगलाराम
02.	प्रभुराम	पुत्र माणाराम	30	कोली	-"- mob. 8290186638 प्रभुराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:44:04 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार आज दिनांक 15/12/2025 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

हस्ताक्षर
पटवारी
पटवारी (भू.अ.) सालारिया/भंवार
तहसील पं. (बाड़मेर)

हस्ताक्षर 15/12/2025
अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो सेड़वा
भू. अ. निरीक्षक
वृत.................. तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा